

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गुना (म.प्र.)

E-mail : dfot.gun@mp.gov.in, dfoguna@rediffmail.com

क्रमांक/डी.एम./2023/6596
प्रति,

गुना दिनांक/
27-07-23

वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

विषय :- गुना जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 4.089 हेक्टेयर वनभूमि मध्य प्रदेश गल निगम मर्यादित गुना को उपयोग पर देने वावत्। (FP/MP/WATER/146889/2021)।

संदर्भ:- श्रीमान का पत्र क्र./डी.एम./2023/683 शिवपुरी दिनांक 17.03.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में प्रस्तावित पाइप लाइन का नक्शों एवं KML फाईल से मिलान कर श्रीमान के संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार निम्नानुसार पूर्ति की गई-

1. प्रकरण में जिन स्थानों पर पाइप लाइन का अंतिम छोर है, वहां से कुछ स्थानों पर राजस्व क्षेत्र प्रारम्भ होता है तथा कुछ स्थानों पर टंकी का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए नवीन KML फाईल में नीले रंग से राजस्व लाइन एवं लाल रंग से फोरेस्ट लाइन को मार्क किया गया है। साथ ही प्रस्तावित टंकी का स्थल मानचित्र (हार्डकॉपी) पर मार्क कर नवीन KML फाईल में दर्शाया जाकर टंकी का नाम गुलाबी रंग से अंकित किया गया है।
2. प्रकरण में जिन स्थानों पर पाइप लाइन बीच जंगल में समाप्त हो रही है वहां पर टंकी का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावित टंकी का स्थल मानचित्र (हार्डकॉपी) पर मार्क कर नवीन KML फाईल में गुलाबी रंग से दर्शाया जाकर टंकी का नाम भी अंकित किया गया है।
3. कक्ष क्र. P-169, P-728, P-729, P-752, P-787 रेवेन्यु लाइन (नीला रंग) को जोड़ने वाली पाइप लाइन एक अन्य योजना अन्य योजना (FP/MP/WATER/146479/2021) की पाइप लाइन का हिस्सा है जिसकी स्वीकृति पूर्व में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./एफ-5/1186/2022/10-11/4305 भोपाल दिनांक 20.12.2022 से प्राप्त हो चुकी है। इस अन्य योजना की पाइप लाइन को KML फाईल में हरे रंग से दर्शाया गया है।
4. उक्त प्रकरण में पाइप लाइन हेतु प्रभावित वनक्षेत्र में जिन स्थानों पर वन अधिकार पट्टा धारी/अतिक्रमण/कब्जधारी काबिज हैं उन क्षेत्रों को नक्शों पर लाल रंग से मार्क किया गया है।
5. उक्त प्रकरण में वनक्षेत्र अन्तर्गत कुल 08 स्थानों पर पाइप लाइन का अंतिम छोर, जिन पर टंकियों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 4.089 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने हेतु संबंधित यूजर एजेन्सी द्वारा प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पुनः प्रस्तुत किया जाकर प्रभावित होने वाली वनभूमि के बदले में समतुल्य गैर वनभूमि (राजस्व भूमि) ग्राम रामगिर खुर्द तहसील आरोन सर्वे क्र. 92/1 में उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अतः प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु परिक्षेत्राधिकारी आरोन से वृक्षारोपण योजना तैयार कराई जाकर, भाग-2 (संशोधित) की पूर्ति उपरांत प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल गुना

(संबंधित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य संख्या - FP/MP/WATER/146889/2021

1	जिला	1	मध्यप्रदेश						
2	जिला	2	जिला - गुना						
3	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्तावित/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	3	जिला गुना में विकासखण्ड राघौगढ़ एवं आरोन के अन्तर्गत वनपरिक्षेत्र आरोन, राघौगढ़ एवं मक्सूदनगढ़ के वनक्षेत्र में महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई, गुना द्वारा राजघाट बांध आधारित समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन डाले जाने हेतु 4.089 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है। आवेदित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :- ON LINE CASE NO. FP/MP/WATER/146889/2021						
			(अ) वन विभाग के अधीन वनभूमि में :-						
			अ. क्र.	कार्य	वनमण्डल का नाम	वन खण्ड	प्रकोष्ठ क्रमांक	आरक्षित/ संरक्षित	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.मै.)
			1	2	3	4	5	6	7
			1	नल जल हेतु भूमिगत पाइप लाइन विछाने बाबत	गुना	किशनगढ़	P 720	संरक्षित	0.0324
			2				P 713		0.3127
			3				P 719		0.0760
			4			पूर्व गौमुख	P 160		0.0289
			5				P 159		0.0617
			6				P 166		0.0479
			7				P 171		0.0150
			8				P 168		0.0726
			9				P 156		0.0522
			10				P 165		0.0167
			11				P 157		0.0063
			12			पश्चिम गौमुख	P 727		0.0165
			13				P 729		0.0387
			14				P 731		0.0340

15			पश्चिम गौमुख	P 730	संरक्षित	0.0706
				P 733		0.0178
16			बंजला	P 732		0.0676
17				P 735		0.2038
18				P 736		0.0577
19				P 734		0.0168
20				P 739		0.3142
21				P 740		0.0515
22				P 750		0.1836
23				P 743		0.5228
24			P 744	0.1518		0.1518
25			P 747	0.2107		
26			P 757	0.0808		
27			P 759	0.6750		
28			P 760	0.0297		
29			P 762	0.2012		
30			P 745	0.0980		
31			P 756	0.0152		
32			भोजपुरा	P 765		0.0570
33				P 767		0.0030
34			मक्सूदनगढ़	P 770		0.0340
35			भगवतीपुरा	P 773		0.0039
36			उकावद	P 776		0.0060
37				P 777		0.0150
38				P 782		0.0610
39				P 783		0.0270
40				P 787		0.0300
41				P 788		0.0460
42				P 789	0.0260	योग
43					4.089	

(ब) मौजूदा भूमि उपयोग के लिये कुल अपेक्षित वन भूमि की मदवार जानकारी :-

अ. क्र.	कार्य	वनमण्डल का नाम	वन खण्ड	प्रकोष्ठ क्रमांक	आरक्षित / संरक्षित	प्रभावित क्षेत्रफल (हे. में.)
1	2	3	4	5	6	7
1	नल जल हेतु भूमिगत पाइप लाइन विछाने बाबत	गुना	किशनगढ़	P 720	संरक्षित	0.0324
2				P 713		0.3127
3			पूर्व गौमुख	P 719		0.0760
4				P 160		0.0289
5				P 159		0.0617
6				P 166		0.0479
7				P 171		0.0150
8				P 168		0.0726
9				P 156		0.0522
10				P 165		0.0167
11				P 157		0.0063
12			पश्चिम गौमुख	P 727		0.0165
13				P 729		0.0387
14				P 731		0.0340
15			पश्चिम गौमुख	P 730		0.0706
16				P 733		0.0178
17				P 732		0.0676
18				P 735		0.2038
19				P 736		0.0577
20				P 734		0.0168
21			बंजला	P 739		0.3142
22				P 740		0.0515
23				P 750		0.1836
24				P 743		0.5228
25				P 744		0.1518
26				P 747		0.2107
27				P 757		0.0808

			28				P 759	संरक्षित	0.6750	
			29				P 760		0.0297	
			30				P 762		0.2012	
			31				भोजपुरा		P 745	0.0980
			32						P 756	0.0152
			33				मक्सूदनगढ़		P 765	0.0570
			34						P 767	0.0030
			35				भगावलीपुरा		P 770	0.0340
			36						P 773	0.0039
			37				उकावद		P 776	0.0060
			38						P 777	0.0150
			39				P 782		0.0610	
			40				P 783		0.0270	
			41				P 787		0.0300	
			42				P 788		0.0460	
			43				P 789		0.0260	
								योग	4.089	

(स) शामिल वन भूमि का ब्यौरा:-

आरक्षित वन (हेक्टेयर में)	संरक्षित वन (हेक्टेयर में)	अवर्गीयकृत वन (हेक्टेयर में)	राजस्व वन (हेक्टेयर में)	योग (हेक्टेयर में)
0.00	4.089	00.00	00.00	4.089

4.089 हेक्टेयर वनक्षेत्र

4 वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)

5 वन की कानूनी स्थिति

संरक्षित वन

6 वनों का घनत्व

वनक्षेत्र का घनत्व 0.2 है।

7	समितिवार (वैज्ञानिक नाम) परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ.आर.एल 2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल 4 मीटर भी संलग्न किया जाये।	7	अवैदित क्षेत्र में निम्नानुसार है :-					
			अ.क्र.	प्रजाति का स्थानीय नाम	बाटनीकल नाम	वृक्षों की संख्या	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
			1	2	3	4	5	6
			1	सागवान	Tectona grandis	74	55440	-
			4	पलाश	Butea monosperma	03	8400	-
8	भू-क्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। (वर्तमान भू क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित प्ररियोजना में वनक्षेत्र व्यपवर्तन होने से संभावित भू-क्षरण होने वावत्।)	8	उक्त क्षेत्र भू-क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है। अतः उक्त क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन बिछाई जा सकती है।					
9	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	9	-					
10	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व, बांध रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है ? (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित ही जाये)	10	राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण/जैव मंडल रिजर्व/बांध रिजर्व/हाथी कोरीडोर के अन्तर्गत क्षेत्र नहीं है।					
11	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	11	प्रस्तावित क्षेत्र में प्रश्नांश से संबंधित प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं।					
12	क्या सुरक्षित/पुरातत्वीय/परम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है ? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो।	12	प्रस्तावित स्थल में कोई सुरक्षित/पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है।					
13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉल 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार	13	भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।					

14	संस्तुत क्षेत्र क्या है। क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें, क्या उल्लंघन कार्य अभी चल रहे हैं।	14	कोई उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है।
15	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा- प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन या उसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार	15	राजघाट बांध आधारित समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन डाले जाने हेतु 4.992 हेक्टेयर बदले में कलेक्टर जिला गुना के पत्र क्र./52/नजूल/रा.नि./2023-24 दिनांक 27.06.2022 से ग्राम रामगिरि खुर्द तहसील आरोन स्थित सर्वे क्रमांक 92/1 कुल रकवा 19.458 हेक्टेयर में से 10.000 हेक्टेयर (राजस्व) भूमि (एकजाई राजस्व भूमि) वन विभाग को हस्तांतरित की गई है। अतः वनमण्डल गुना की वन परिक्षेत्र आरोन अन्तर्गत उक्त गैर वनभूमि प्राप्त होने के उपरांत 11 वर्षीय वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। विवरण निम्नानुसार है-
16	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं का दर्शाता मैप	16	अतः वनमण्डल गुना की वन परिक्षेत्र आरोन अन्तर्गत उक्त गैर वनभूमि प्राप्त होने के उपरांत 11 वर्षीय वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। विवरण निम्नानुसार है-
17	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूचित ढांचा आदि।	17	उक्त योजना में प्रभावित वनभूमि के बदले में प्राप्त राजस्व भूमि उपलब्ध कराई गई है। जिसकी 11 वर्षीय वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव संलग्न हैं। उक्त योजना पर वर्ष 2023 से 2034 तक कुल रुपये 10852729.00 का व्यय संभावित है। योजनान्तर्गत मुख्यतः बांस, सागौन, करंज, आंवला, नीम, खमेर, जंगल जलेबी, जामुन, चिरोल, शीशम, सफेद सिरस आदि प्रजातियों के 10000 पौधे रोपित किये जायेंगे। उक्त कार्य वन विभाग द्वारा कराया जावेगा।
18	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	18	10852729.00 आने की संभावना है।
19	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संक्षेप प्राधिकारी (उप वन संचालक) का प्रमाण पत्र।	19	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण करने हेतु उपयुक्त है, जिसकी वृक्षारोपण योजना संलग्न है।

20	उप वन संरक्षक (वनमण्डलाधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।	19	वनमण्डलाधिकारी गुना द्वारा दिनांक 12/07/23 को आवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया।																					
21	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	20	24.10.1980 से भारत सरकार/ राज्य सरकार/ नोडल अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था। <table><tr><th>अ. क्र.</th><th>दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हेक्टे. में)</th><th>दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हेक्टे. में)</th><th>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)</th><th>दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)</th><th>योग</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>395.315</td><td>6298.235</td><td>2458.776</td><td>-</td><td>9297.001</td></tr></table> जिला गुना के अन्तर्गत दण्ड के रूप में क्षतिपूर्ति वनीकरण नहीं किया गया। अभी तक कुल वृक्षारोपण 9297.001 हेक्टेयर है।	अ. क्र.	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हेक्टे. में)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हेक्टे. में)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	योग	1	2	3	4	5	6	1	395.315	6298.235	2458.776	-	9297.001			
अ. क्र.	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हेक्टे. में)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हेक्टे. में)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	योग																			
1	2	3	4	5	6																			
1	395.315	6298.235	2458.776	-	9297.001																			
22	परिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि पर	21	अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया है :- <table><tr><th>जिला</th><th>दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हेक्टे. में)</th><th>दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हेक्टे. में)</th><th>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)</th><th>दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)</th><th>योग</th><th>व्यय</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>गुना</td><td>463.330</td><td>590.394</td><td>278.520</td><td>119.616</td><td>1451.860</td><td>11078590/-</td></tr></table> अभी तक कुल वृक्षारोपण 51451.860 हेक्टेयर में एवं व्यय 11078590 रुपये है।	जिला	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हेक्टे. में)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हेक्टे. में)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	योग	व्यय	1	2	3	4	5	6	7	गुना	463.330	590.394	278.520	119.616	1451.860	11078590/-
जिला	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हेक्टे. में)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हेक्टे. में)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	योग	व्यय																		
1	2	3	4	5	6	7																		
गुना	463.330	590.394	278.520	119.616	1451.860	11078590/-																		
23	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक की-विशिष्ट अनुशंसा	22	जिला गुना में विकासखण्ड आरोन एवं राघौगढ़ के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र आरोन, राघौगढ़ एवं मक्सूदनगढ़ के वनक्षेत्र में महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई, गुना द्वारा राजघाट बांध आधारित समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन डाले जाने हेतु 4.089 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।																					

वन मण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल गुना